मुख्य अभियंता का कार्यालय,
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ) लघु जल संसाधन विभाग, पटना,
जल भवन, तृतीय तल, राईडिंग रोड शेखपुरा, पटना–800014
ईमेल– ce.pmg-bih@gov.in दूरभाष–0612–2215035

संचिका सं0:–ल0ज0सं0(पी0एम0जी0)– कालीकृत–267/2026– 60 /पटना, दिनांकः– 25/05/2026

आदेश

लघु सिंचाई प्रमंडल, गयाजी अन्तर्गत निविदा आमंत्रण सूचना सं0–03/2025–26 के ग्रुप सं0–147 बुढ़वा बुढ़ी परसा पाण्डेय आहर सिंचाई योजना का कार्य संवेदक श्री वीरेन्द्र कुमार, पिता–रामदहिन प्रसाद यादव, ग्राम–पाठक विगहा, पो0–रौनिया, थाना–महकार, जिला–गयाजी, बिहार, पिन कोड–824233 (निबंधन सं0–MWRD1122C2IN2953, श्रेणी–II) को आवंटित होने के उपरांत कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गयाजी के पत्रांक–6806 दिनांक–03.12.2025 द्वारा कार्यादेश निर्गत किया गया, जिसके अन्तर्गत कार्य प्रारंभ करने की तिथि 03.12.2025 एवं कार्य पूर्ण करने की तिथि 02.06.2026 तक निर्धारित है। संवेदक श्री वीरेन्द्र कुमार को कार्य प्रारंभ करने हेतु कार्यपालक अभियंता, लघु सिचाई प्रमंडल, गयाजी द्वारा लिखित एवं मौखिक रूप से निदेशित किये जाने के बावजूद भी कार्य प्रारंभ नहीं करने के कारण कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गयाजी के पत्रांक–1368 दिनांक–02.04.2026 एवं अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, गयाजी के पत्रांक–705 दिनांक–07.04.2026 द्वारा संवेदक को कालीकृत करने हेतु भेजे गये प्रस्ताव के क्रम में मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना का पत्रांक–609 दिनांक–10.04.2026 द्वारा संवेदक श्री वीरेन्द्र कुमार को कालीकृत करने हेतु प्रस्ताव विहित प्रपत्र में सूचना के साथ अनुशंसा सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया। प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक–565 दिनांक–15.04.2026 द्वारा संवेदक से कारण पृच्छा की गयी। संवेदक का जबाव अबतक अप्राप्त है। जिससे स्पष्ट है कि संवेदक को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में वर्णित योजना का कार्य बार–बार निदेशित किये जाने, कार्य प्रारंभ करने की निर्धारित तिथि के बीत जाने के बावजूद भी कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने तथा कारण पृच्छा का जबाव अप्राप्त रहने के कारण सम्यक समीक्षोपरांत संवेदक श्री वीरेन्द्र कुमार, पिता–रामदहिन प्रसाद यादव, ग्राम–पाठक विगहा, पो0–रौनिया, थाना–महकार, जिला–गयाजी, बिहार, पिन कोड–824233 (निबंधन सं0–MWRD1122C2IN2953, श्रेणी–II) को बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली–2007 के नियम 11 (क) के उप नियम (ii) एवं पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना के आदेश ज्ञापांक–154 दिनांक–18.06.2015 में निहित प्रावधानों के तहत अगले 10 वर्षों के लिये कालीकृत किया जाता है।

ह0/–
मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना

पत्रांक– /पटना दिनांक–

प्रतिलिपि–संवेदक श्री वीरेन्द्र कुमार, पिता–रामदहिन प्रसाद यादव, ग्राम–पाठक विगहा, पो0–रौनिया, थाना–महकार, जिला–गयाजी, बिहार, पिन कोड–824233 (निबंधन सं0–MWRD1122C2IN2953, श्रेणी–II) को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना

पत्रांक— 778 /पटना, दिनांक—25/05/2026

प्रतिलिपि— अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/सभी मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, .../सभी अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, .../सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, ...एवं आई0टी0 मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई0टी0 मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को निदेशित किया जाता है कि उक्त पत्र विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना